पत्र संख्या-विधि-2-(1)-केन्द्रीय बिक्रीकर-186- (2009-2010)/1362/0910066/वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ,

(विधि अनुभाग)

दिनांक::लखनऊ:: नवम्बर25 ,2009

समस्त कर निर्धारण अधिकारी,

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश ।

वर्ष 2005-2006,2006-2007 व 2007-2008 में निर्धारित अवधि में फार्म-सी, एफ एवं ई-1, ई-2 दाखिल न होने के कारण अतिरिक्त समय देने हेतु विभिन्न व्यापारिक संघों एवं टैक्स बार द्वारा प्रकाश में लायी गयी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये मुख्यालय के पत्र संख्या-विधि-2-(1)-केन्द्रीय बिक्रीकर 8(5) (06-07)/ 759 दिनांक 29-9-2008 द्वारा कतिपय निर्देश दिये गये थे ।

2- दिनांक 13-11-2009 को उत्तर प्रदेश राज्य कर परिषद की बैठक में इस आशय की जानकारी दी गयी कि इन फार्मो को दाखिल न किये जा सकने का पर्याप्त कारण होने के बावजूद कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा इन फार्मो को दाखिल करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जा रहा है ।

3- केन्द्रीय बिक्रय कर (पंजीयन एवं आवर्त) नियमावली, 1957 के नियम 12 के उपनियम (7) के अन्तर्गत इन फार्मो को दाखिल करने की निम्न व्यवस्था है :-

" The declaration in Form C or Form F or the certificate in Form E-1 or Form E-II shall be furnished to the prescribed authority within three months after the end of the period to which the declaration or the certificate relates:

Provided that if the prescribed authority is satisfied that the person concerned was prevented by sufficient cause from furnishing such declaration or certificate within the aforesaid time, that authority may allow such declaration or certificate to be furnished within such further time as that authority may permit."

4- उक्त व्यवस्था के होते हुये भी कतिपय कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा संदर्भित फार्म निर्धारित अवधि में दाखिल न करने पर पर्याप्त कारण होते हुये भी अतिरिक्त समय हेतु प्रार्थना पत्र ग्राह्य नहीं किये जा रहे है , जो उचित नहीं है ।

5- अतः निर्देश दिये जाते है कि इन फार्मो के समय से दाखिल न हो पाने की स्थिति में उक्त प्राविधान के अनुरुप ऐसे फार्मो को दाखिल करने हेतु अतिरिक्त समय की अनुमति प्रदान की जाये ।

25/11/09

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

--2

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

3- अध्यक्ष/ निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश।

4- समस्त एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य पालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

5- अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक/ सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।

6- समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल/ऑयल सेक्टर) वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।

7- समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

8- ज्वाइण्ट कमिश्नर /डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर, (सर्वोच्च न्यायालय कार्य)वाणिज्य कर, गाजियाबाद।

9- ज्वाइण्ट कमिश्नर /डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर, (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद / लखनऊ।

10- मैनुअल अनुभाग/ सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमश 5-5 तथा 10 प्रतियां।

11- विधि अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय को 25 प्रतियां।

12- समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

13- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, लखनऊ।

(आर0एस0गंगवार)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तर प्रदेश।